यालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)

मि.न 113/2020 दिनांक 9.7..2020

सरकार बनाम मक्खनलाल
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारहेड़ा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम के नवलकुशालपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0157/4.71 है0 किस्म बंजड में से 0.01 है0 भूमि पर श्री मक्खनलाल पुत्र मांगीलाल जाति चमार निवासी सा0देह ने पक्का चबूतरा का निर्माण किया जाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । सूचना बाद गैर सायल आया । जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया । गैर सायल ने अपने जबाब में कथन किया है कि गैर सायल को राज सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोग मानते हुए इंन्दिरा आवास के तहत आवासीय मकानात बनाने हेतु खसरा नंबर 135/467 कुल रकबा 1.5600 गैर मुमकीन आबादी क्षेत्र में आंवटित कर पट्टे जारी किया गया था। गैर सायल का मकान उक्त खसरा नंबर में बना हुआ है जो पट्टे शुदा व कब्जा शुदा में बना हुआ है। जो वैध है अवैध निर्माण का कथन गलत है। गैर सायल आबादी भूमि में पट्टे शुदा भूमि पर काबिज है गैर सायल का कोई अतिक्रमण नहीं है। गैर सायल ने पट्टे की छाया प्रति पेश की जो संलग्न पत्रावली की गई । गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जबाब के कथनानुसार गैर सायल को ग्राम की आबादी भूमि खसरा नंबर 135/467 का आवंटन बताया गया है जबकि पटवारी हल्का द्वारा गैर सायल का अतिक्रमण खसरा नंबर 157 पर दर्शाया गया है। हमने पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट , पत्रावली में सलग्न दस्तावेज व गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जबाब पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि वाके ग्राम नवलकुशालपुरा के खसरा नंबर 157/4.71है0 किस्म बंजड़ में से 0.01है भूमि पर गैर सायल का अतिक्रमण सिद्व होता है । अतः आतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैरसायल मक्खनलाल पुत्र मांगीलाल जाति चमार निवासी नवलकुशालपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम नवलकुशालपुरा तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 157/4.71है0 किस्म जमीन बंजड़ में से 0.01 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल द्वारा किये गये निर्माण कार्य को ध्वस्त किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner

किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 0.30रू. का पचास गुणा 15 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते ,बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को लिखा जावे निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 9.7..2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner